

प्रारूप 24क
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रारूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

- राजनैतिक दल का नाम : लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी
- राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : अमान्यता प्राप्त
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता : E-21/7 न्यू राजेन्द्र नगर पोस्ट विजयपुर (दिल्ली)
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख : 11/11/2004
- स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है..... रायपुर (दिल्ली)
- वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अमिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक है, ब्यारे -

MAAAL9458N

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अमिदाय की रकम	अमिदाय की रीति। (चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-

*चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

मैं, हरगुन मेघवानी (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री रतन लाल सत्यापन से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रारूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, उमर नामित राजनैतिक दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी हैसियत में इस प्रारूप को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : 10/12/2021

स्थान : रायपुर (दिल्ली)

Harman
हरगुन मेघवानी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी (रजि.)
रायपुर छत्तीसगढ़